<u>**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2024-हिं.अ. दिनांक: 22.04.2025

<u>**कार्यालय ज्ञापन**</u>

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की <u>दिनांक 26.03.2025 को हुई जनवरी-मार्च, 2025 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 26.03.2025 को अपराह्न 03.00 बजे आयोजित की गई। **इस बैठक में संस्थान में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।** इस बैठक में संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी संबद्ध अनुभागों/केंद्रों के अधिकारियों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने भाग लिया। बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

संस्थान के सभी संबद्ध तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि वे इस कार्यवृत्त पर अपेक्षित कार्रवाई करें और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(पदम सिंह)
वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)

<u>वितरण</u>:- सभी संबद्ध तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभाग/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि</u>:-

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय की प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव,एम्स, नई दिल्ली।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक(रा.भा.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- संयुक्त निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी-मार्च, 2025 अवधि की दिनांक 26.03.2025 को श्री कर्ण सिंह, अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी-मार्च, 2025 अवधि की एक बैठक दिनांक 26.03.2025 को अपराह्न 03.00 बजे, श्री कर्ण सिंह, अपर निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं संस्थान के निम्नलिखित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	श्रीमती दिव्या यानामदाला, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली
2.	श्री बिनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
3.	श्री विजय पाल सिंह, वित्त सलाहकार, एम्स, नई दिल्ली
4.	श्री धर्मपाल शर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियरी सेवा विभाग, एम्स, नई दिल्ली
5.	श्री नंदन सिंह रौतेला, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली
6.	श्री कमल भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली
7.	श्री राजकुमार, प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली
8.	श्रीमती दीपा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संपदा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली
9.	श्रीमती संगीता, कुक ग्रेड -II, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली
10.	श्री पूरन चंद भट्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली
11.	श्रीमती चन्द्रा बिष्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली
12.	श्री राजेन्द्र भट्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली
13.	श्री प्रेमपाल, वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली
14.	श्री शिवानंद ठाकुर, लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली
15.	श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली
16.	डॉ. संजय राय, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली

17.	श्री सुदेश कुमार, सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग, एम्स, नई दिल्ली
18.	श्री उमेश कुमार, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय, एम्स, नई दिल्ली
19.	श्री जितेन्द्र बहल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली
20.	श्री सुशील कुमार, सहायक जन संपर्क अधिकारी,जनसंपर्क प्रभाग, एम्स, नई दिल्ली
21.	श्री अनिल आर.सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कंप्यूटर सुविधा, एम्स, नई दिल्ली
22.	श्री हरगोपाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली
23.	श्रीमती हरीशा सूरी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली
24.	श्रीमती कमला भाकुनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली
25.	श्री अनिल कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अस्पताल, एम्स, नई दिल्ली
26.	श्रीमती रेनूबाला, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
27.	श्री ज्ञानचंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
28.	श्री मंगल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ., एम्स, नई दिल्ली
29.	श्री शशिकांत खरवार, प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र एवं राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद, एम्स, नई दिल्ली
30.	श्री राजेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
31.	श्री श्यामसुंदर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर, एम्स, नई दिल्ली
32.	श्री पदम सिंह, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.) एवं सदस्य-सचिव, एम्स, नई दिल्ली
33.	श्रीमती अनिता राय सक्सेना, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली
34.	श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली

माननीय निदेशक महोदय अपने पूर्व-नियोजित कार्यक्रम के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव की ओर से श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी ने बैठक की कार्रवाई की प्रारम्भ करते हुए माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त

निदेशक (राजभाषा) श्री बिनोद कुमार जी तथा बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण का स्वागत किया और तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय से औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17.12.2024 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुष्टि की गई।

1. **संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी:-** इस विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को सूचित किया गया कि फरवरी, 2025 से प्रारंभ हुए हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की ऑफलाइन कक्षाओं में वर्तमान में संस्थान के 12 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का प्रशिक्षण और 01 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि संस्थान में नए भर्ती होने वाले नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों को प्राथमिकता के आधार पर हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए।

(कार्रवाई - हिंदी अनुभाग एवं सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र)

2. **संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी:-** हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान में हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले तथा भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों के अनुसार वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रिक्त पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने और वर्तमान में संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि हिंदी पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर संस्थान की आंतरिक कैडर रिव्यू समिति की सिफारिशों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) एवं शासी निकाय (जी.बी.) की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कैडर समीक्षा की सिफारिशों के संबंध में गठित समिति की बैठक मंत्रालय में आयोजित हो चुकी है और बैठक के कार्यवृत्त (मिनिट्स) प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान में हिंदी कैडर के पदों हेतु भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों के अनुसार हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले पर तथा वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रिक्त पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने और वर्तमान में संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ)

3. **हिंदी अनुभाग हेतु सी-II/22 फ्लैट के स्थान पर कार्यालय उपयोग हेतु उचित वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने संबंधी:-** हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि वर्ष 2022 में हिंदी अनुभाग को कार्यालय उपयोग हेतु सी-II/22 फ्लैट अस्थाई तौर पर आबंटित किया गया था जिसे संपदा अनुभाग द्वारा खाली करने का निदेश दिया गया है। हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में हिंदी अनुभाग के पास संस्थान कैफेटेरिया के निकट एक छोटा सा कार्यालय भी है लेकिन उसमें स्थान की कमी होने के कारण हिंदी अनुभाग के सारे स्टाफ को एक जगह नहीं बैठाया जा सकता है। अत: हिंदी अनुभाग के लिए उचित वैकल्पिक स्थान की तत्काल व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।

इस संदर्भ में, चर्चा के दौरान माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि हिंदी अनुभाग द्वारा इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए दिसम्बर, 2024 में ई-ऑफिस के माध्यम से उचित कार्रवाई हेतु कुल-सचिव महोदय को एक फाइल भेजी गई थी लेकिन इस विषय में अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पायी है।

समिति द्वारा इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग के स्टाफ सदस्यों के लिए संस्थान में अन्य किसी जगह पर पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए कुल सचिव महोदय/स्पेस कमेटी को पुन: अनुरोध किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि स्पेस कमेटी द्वारा हिंदी अनुभाग हेतु उचित वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था अतिशीघ्र की जाए।

(कार्रवाई - कुल सचिव/स्पेस कमेटी)

4. **संस्थान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी:-** इस विषय के सदंर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 65% और क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्तियों को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थान का हिंदी पत्राचार 75.17% ही है।

हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य से बहुत कम पत्राचार हिंदी में किया गया है, उन सभी अनुभागों/केंद्रों के प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी की ओर से एक पत्र जारी करके सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के निदेश जारी किए जाएं जिसके अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा दिनांक 01.02.2025 को माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया की ओर से कार्यालय ज्ञापन जारी करके संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सभी अनुभागों/केंद्रों को हिंदी में मूल पत्राचार में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित करने के निदेश दिए गये हैं।

संस्थान की 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा के दौरान माननीय समिति द्वारा यह पाया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता कंप्यूटर सुविधा द्वारा अक्तूबर-दिसम्बर, 2024 अवधि में मूल पत्राचार बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार, आउटसोर्स प्रकोष्ठ द्वारा भी अक्तूबर-दिसम्बर, 2024 अवधि में निर्धारित 100% लक्ष्य से बहुत कम केवल 7.24% ही मूल पत्राचार हिंदी में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया और हिंदी अधिकारी को आदेश दिया कि कंप्यूटर सुविधा एवं आउटसोर्स प्रकोष्ठ के प्रशासनिक अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से इस विषय में चर्चा की जाए और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों सहित कंप्यूटर सुविधा एवं आउटसोर्स प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गंभीरता से प्रयास किए जाएं।

**(कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केंद्र/
कंप्यूटर सुविधा/ आउटसोर्स प्रकोष्ठ/हिंदी अनुभाग)**

5. **संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन :-**हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों में तैनात 45 कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों के लिए दिनांक 05 से 06 मार्च, 2025 को दो दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में करने एवं इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि संस्थान में अगली हिंदी कार्यशाला का आयोजन मई-जून, 2025 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है।

इस विषय पर माननीय समिति द्वारा चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि संस्थान में नए भर्ती होने वाले नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/ आशुलिपिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि वे राजभाषा हिंदी संबंधी नियमों से अवगत हो सकें।

(कार्रवाई -हिंदी अनुभाग)

6. **संस्थान में पहले से लागू विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को वित्त वर्ष 2025-2026 हेतु पुन: परिचालित करने के संबंध में**:- माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि संस्थान में अधिकारियों/संकाय-सदस्यों/कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित तीन प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं जिन्हें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान में पुन: परिचालित किया जाना है:-

1. **संस्थान में अधिकारियों/संकाय-सदस्यों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने/ई-ऑफिस सिस्टम पर फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखने पर प्रोत्साहन योजना।**

2. **संस्थान में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।**

3. **संस्थान में कर्मचारियों द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में आशुलिपि और टंकण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता योजना।**

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त तीनों प्रोत्साहन योजनाओं को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी संस्थान में परिचालित किया जाए ताकि संस्थान के सभी संकाय-सदस्य/अधिकारीगण/नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर/आशुलिपिक आदि इन प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि संस्थान में उक्त तीनों प्रोत्साहन योजनाओं को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी लागू किया जाए।

(कार्रवाई -हिंदी अनुभाग)

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया, श्री बिनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (रा.भा.), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आभार प्रकट करने तथा बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारीगण को धन्यवाद के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।